विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-16/2022

श्री नीरज कुमार दुबे पिता नरेश दुबे, आवेदक/अपीलार्थी
राजनगर कॉलोनी, प्रियंका किराना के सामने,
डिडवारा, जिला – नरसिंहपुर (म0प्र0)

विरूद्ध

अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.) वृत्त,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
नरसिंहपुर (म0प्र0)

अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी

कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
नरसिंहपुर (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 30.12.2022 को पारित)

01. आवेदक श्री नीरज कुमार दुबे, पिता नरेश दुबे, राजनगर कॉलोनी, प्रियंका किराना के सामने, डिडवारा, जिला – नरसिंहपुर (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 20.10.2022 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 71/2022 दिनांक 13.09.2022 से असंतुष्ट एवं असहमत होने के कारण अपील अंतर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 12.10.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–16/2022 पर दर्ज की गई है ।

02. **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :**

अपील अंतर्गत धारा 42 (6) विद्युत अधिनियम 2003

यह अपील माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के प्रकरण क्रमांक 71/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2022 से व्यथित एवं दुःखी होकर प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थी के द्वारा विभाग को अपनी विवादित राशि का आधा भुगतान दिनांक 06.10.2022 को किया जा चुका है, इसके बाद ही अपील प्रस्तुत की जा रही है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

अपीलार्थी नरसिंहपुर जिला नरसिहपुर में पानी प्लांट का संचालक है जिसके परिसर में प्रतिअपीलार्थी द्वारा विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया जिसका पुराना मीटर (यह मीटर पूर्व में किसी और उपभोक्ता के इधर लगा हुआ था) क्रमांक 2888658 था एवं सर्विस्र क्रमांक 1260002990 है अपीलार्थी कोरोना के कारण मशीनो की खरीदी एवं अपना व्यवसाय चालू नही कर सका जब अपीलार्थी ने पुनः व्यवसाय माह फरवरी 2021 में शुरू करना चाहा, तब अपीलार्थी ने देखा कि उसका मीटर चालू बंद हो रहा है तब मीटर की शिकायत अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 22.02.2021 सहायक अभियंता के कार्यालय में पत्र के माध्यम से विषयान्तर्गत मीटर खराब होने एवं उसे बदलने का आवेदन प्रस्तुत किया था जो कि सहायक अभियंता के कार्यालय के रिकार्ड आवक–जावक पंजी में 1227 नंबर पर दर्ज है उक्त पत्र पर सहायक अभियंता की तरफ से कोई कार्यवाही नही की गई अपीलार्थी के परिसर में टीन शेड का कार्य चल रहा था जिसके कारण मशीन में अचानक शार्ट सर्किट होने के कारण दिनांक 04.03.2021 को मीटर जल गया अपीलार्थी की शिकायत के बाद दिनांक 04.03.2021 को मीटर बदला गया, मीटर बदलने के बाद जो मीटर स्लिप कर्मचारी के द्वारा भरा गया था उसमें किसी भी प्रकार की सील टूटी या छेडखानी का होना नही लिखा गया और न ही किसी भी प्रकार की मीटर से संबंधित पंचनामा कार्यवाही की गयी।

अपील के आधार

1. यह कि माननीय फोरम द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धांतो के विपरीत, विवादित, एक तरफा एवं मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि माननीय फोरम द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका को दृष्टिगत न रखते हुये किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्रमांक 8.18, 8.34, 6.31, 8.21, 8.11 के नियमो के

अनुसार निर्णय न करते हुये मनमाने तरीके से निर्णय किया गया है। अतः आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि माननीय फोरम ने अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नही किया और आदेश पारित किया जो विधि सम्मत नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि माननीय फोरम ने अपने आदेश का आधार सहायक अभियंता के पत्र क्रमांक–नरसिहपुर 22/857 दिनांक 06.09.2022 (उक्त पत्र माननीय फोरम के रिकार्ड पर पत्र क्रमांक 570 है) को बनाया जबकि यह पत्र पूर्णतः भ्रामक और मनगंढत तथ्यों पर आधारित है इस कारण फोरम का निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

5. यह कि उक्त पत्र (पत्र क्रमांक नरसिहपुर 22/857) का बिंदु क्रमांक 1 के अनुसार – अपीलार्थी ने सहायक अभियंता के कार्यालय में मीटर बंद की शिकायत 22.02.2021 को की थी, परन्तु सहायक अभियंता के द्वारा 07 दिवस के भीतर मीटर परीक्षण या निरीक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई जो कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्रमांक 8.21 का उल्लघंन है किन्तु इस विधिक स्थिति को फोरम ने नजर अंदाज कर गंभीर विधिक भूल की।

6. यह कि उक्त पत्र का बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार – अपीलार्थी ने मीटर जलने की शिकायत 04.03.2021 सहायक अभियंता के कार्यालय में की थी जिस पर विभाग के कर्मचारियो के द्वारा मीटर को बदला गया मीटर बदलने के बाद मीटर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कमी या पंचनामा की कार्यवाही नही की गई और न ही मीटर स्लिप में लिखी गई यदि किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती तो म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्रमांक 6.31 अनुज्ञप्ति अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह प्रचलित कानूनो के अनुसार उपभोक्ता के विरूद्ध कार्यवाही कर सकेगा परंतु मेरे परिसर में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई इससे यह साफ सिद्ध होता है मेरे परिसर में मीटर की सील टूटी हुई नही थी और न ही मीटर में किसी भी प्रकार की छेड़खानी थी। किन्तु इस विधिक स्थिति को फोरम में नजर–अंदाज कर गंभीर विधिक भूल की है।

प्राथमिक तौर पर जांच अपीलार्थी के परिसर में की जानी थी एवं जांच के परिणाम उपभोक्ता के विरूद्ध आते तो संबधित अधिकारी को पंचनामा की कार्यवाही एवं मीटर जब्ती एवं मीटर को सील

कर उपभोक्ता के हस्ताक्षरयुक्त पंचनामा रिपोर्ट तैयार करना था, परंतु संबधित अधिकारी के द्वारा परिसर में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसके बाद की सम्पूर्ण जबावदारी संबधित अधिकारी की है, मेरी नहीं बनती, दिनांक 16.03.2021 में जो जांच हुई थी उसके संबध में मैंने अपने सारे बिल प्रस्तुत कर दिये उसी आधार पर सहायक अभियंता ने मेरी पंचनामा राशि 1,49,710 को सुधारकर नई पंचनामा राशि 24,373 की गई जिसका भुगतान मेरे द्वारा किया जा चुका है। यदि मेरे परिसर में विद्युत चोरी या छेडखानी की गई होती तो आपके द्वारा कार्यवाही परिसर में की जाती क्योकि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्रमांक 8.11 मे कार्यवाही का अधिकार दिया गया है किन्तु इस विधिक स्थिति को फोरम ने नजर–अंदाज कर गंभीर विधिक भूल की है।

7. यह कि उक्त पत्र का बिन्दु क्रमांक 04 के अनुसार – सहायक अभियंता के द्वारा बताया की मीटर कर्मचारी के द्वारा बदला गया परंतु कर्मचारी आपके विभाग के अधिकृत किये गये कर्मचारी थे अभियंता के द्वारा बताया गया कि जांच के सबंध में पत्र क्रमांक 992 दिनांक 18.03. 2021 **(इस दिनांक को सहायक अभियंता के कार्यालय में पत्र लेख किया गया)** को जानकारी दी थी। परंतु पत्र में 07 दिन पूर्व जांच का प्रस्तावित समय एवं पता न देते हुये एवं मुझे पत्र प्राप्ति के पूर्व अगले दिन दिनांक 19.03.2021 को समय सुबह 11.34 मिनिट पर स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दिया गया। जो कि नियम विरूद्ध कार्यवाही की गई यह कार्यवाही भी सहायक अभियंता के द्वारा म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्रमांक 8.18 का उल्लंघन किया गया किन्तु इस विधिक स्थिति को फोरम ने नजर–अंदाज कर गंभीर विधिक भूल की है।

8. यह कि उक्त पत्र का बिन्दु क्रमांक 05 के अनुसार – सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया कि पूर्व में उपभोक्ता को बिलिंग नोटिस जारी किये गये एवं पत्र नही लिये गये, यह कथन बिल्कुल गलत है आपके द्वारा इससे पहले मुझे किसी भी प्रकार की कोई पत्र प्राप्त नही हुये जब मेरा किसी भी प्रकार से केाई बिल ही बाकी नही था तो फिर किस बिलिंग राशि के पत्र आपके द्वारा मुझे भेजे गये। **आपके कार्यालय से पत्र क्रमांक 992 दिनांक 18.03.2021 को लेख किया गया जो कि मुझे डाक के माध्यम से दिनांक 26.03.2021 को मिला परंतु पत्र मुझे मिलने से पहले ही आपके द्वारा मेरा मीटर दिनांक 19.03.2021 को जांच हेतु भेज दिया गया जिसकी जांच हेतु भेजने की तिथि एवं स्पीड पोस्ट ट्रेकर आई डी नम्बर EL 281532651 IN आपके कार्यालय से प्राप्त कापी मुझे प्रदान की गई जिसमें मीटर भेजने की तिथि 19.03.2021 समय सुबह 11.34 बताया गया मुझे किसी भी प्रकार का समय नहीं दिया गया। पत्र क्रमांक 992 का लेख दिनांक 18.03.2021 को**

किया गया एवं पत्र प्राप्ति दिनांक 26.03.2021 को मेरे द्वारा किया गया जबकि स्पीड पोस्ट दिनांक 19.03.2021 को किया गया अर्थात् पत्र मुझे बिलम्ब से इसलिए भेजा गया ताकि पत्र देने की औपचारिकता पूर्ण हो सके। जबकि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्रमांक 8.18 में मीटर परिक्षण के पूर्व उपभोक्ता को 07 दिन पूर्व का समय दिया जावेगा। सहायक अभियंता के द्वारा दी गयी एम.आर.आई. रिपोर्ट अस्वीकार है क्योकि एम.आर.आई. रिपोर्ट के संबंध में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका क्रमांक 8.18 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन होने पर ही मान्य की जा सकती है, जबकि इस प्रकरण में एम.आर.आई. हेतु मीटर भेजे जाने के संबंध में मुझे जानकारी नहीं दी गयी और न ही मेरे समक्ष मीटर सील कर मेरे हस्ताक्षरयुक्त पंचनामा तैयार किया गया, ऐसी स्थिति में एम.आर.आई. रिपोर्ट मुझ पर बंधनकारी नहीं है और मान्य नहीं की जा सकती। इधर भी सहायक अभियंता के द्वारा म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्रमांक 8.18 का उल्लघंन किया गया, किन्तु इस विधिक स्थिति को फोरम ने नजर–अंदाज कर गंभीर विधिक भूल की है।

9. यह कि उक्त पत्र का बिन्दु क्रमांक 6 के अनुसार – सहायक अभियंता के द्वारा स्वयं यह माना जा रहा है कि मेरा परिसर अधिकतर समय बंद पाया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यवसाय कार्य नहीं चल रहा था एवं उपभोक्ता को आंकलित खपत आधार पर रीडिंग बढ़ाकर बिल जारी किया गया था। किन्तु शायद वह यह भूल गये कि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका क्रमांक 9.28 के अनुसार हर माह बिल देयक में निम्नलिखित वर्णन होना जरूरी है, जिसमें कि मीटर खपत एवं आंकलित खपत एवं बिल आधार उसी अनुसार मुझे प्राप्त बिल माह जनवरी 2021 में मीटर खपत 198 एवं आंकलित खपत 0 यूनिट है एवं बिल आधार एक्चुअल है एवं फरवरी माह में 998 यूनिट रीडिग का उपयोग मेरे द्वारा किया गया, फिर उनके द्वारा यह किस आधार पर बताया जा रहा है कि जनवरी माह के बिल में रीडिंग आंकलित तौर पर बढ़ायी गयी।

विभाग के द्वारा मुझे प्राप्त बिल की प्रति माह जनवरी 2021 के अनुसार आंकलित खपत 0 दर्शायी गयी फिर सहायक अभियंता अपने पत्र में किस आंकलित खपत का लेख कर रहे हैं अर्थात् सहायक अभियंता के पत्र में बिन्दु 6 के कथन असत्य स्पष्ट तौर पर दिखायी दे रहे है किन्तु इस विधिक स्थिति को फोरम में नजर–अंदाज कर गंभीर विधिक भूल की है।

10. यह कि उक्त पत्र का बिन्दु क्रमांक 7 के अनुसार – सहायक अभियंता को स्वयं मेरे द्वारा अधीक्षण अभियंता को दिये गये पत्र में सहायक अभियंता के द्वारा एम.आर.आई. रिपोर्ट न मानने का बताया गया था। सहायक अभियंता के द्वारा एम.आर.आई. रिपोर्ट न मानते हुए मेरी बिलिंग 12 माह

की की गई जिससे यह साफ दिखाई देता है एम.आर.आई. रिपोर्ट सहायक अभियंता को ही स्वीकार नहीं थी।

अपील के अन्य आधार जो माननीय फोरम ने अपीलार्थी के प्रस्तुत आवेदन के आधार पर नजर–अंदाज किये, निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. सहायक अभियंता को अपने कम्पनी के कर्मचारियों को सामान्य मीटर परीक्षण के लिए पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराना था जिससे कर्मचारी परिसर में ही मीटर की सामान्य जॉच कर सके एवं कोई त्रुटि होने पर पंचनामा की कार्यवाही मीटर जॉच हेतु मीटर को सीलबंद दोनों पक्षो के हस्ताक्षरयुक्त पंचनामा, मीटर को जप्त करने हेतु कार्यवाही परिसर में की जानी थी। परन्तु कर्मचारियों के द्वारा कोई कार्यवाही मौके पर नहीं की गयी, उसके बाद जो कार्यवाही की गयी वह मेरी गैर मौजूदगी में की गयी जिसकी जबाबदेही मेरी नहीं है, क्योकि मेरे समक्ष किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

2. सहायक अभियंता के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की मीटर भेजते समय या पैक करते समय की फोटो उपलब्ध नहीं करायी गयी, न ही कहीं यह वर्णन किया गया कि मीटर भेजते समय मीटर की वास्तविक स्थिति क्या थी एवं एच.पी.एच. कम्पनी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहीं भी यह वर्णन नहीं किया कि मीटर प्राप्त होने के बाद मीटर की क्या स्थिति थी, या किस स्थिति में प्राप्त हुआ था।

3. सहायक अभियंता के द्वारा यह घोर लापरवाही की गयी कि मेरा मीटर जो उनके द्वारा निकाला एवं अपने साथ ले गये उस मीटर को जॉच हेतु अधिकृत कम्पनी के कर्मचारी के द्वारा न भेजते हुए डाक के द्वारा भेजा गया। डाक के द्वारा भेजने से मेरे मीटर में किसी प्रकार की कोई क्षति हुई होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यह कार्यवाही भी नियम विरूद्ध की गयी।

4. सहायक अभियंता के द्वारा सिर्फ एम.आर.आई. रिपोर्ट प्रदान की गयी है, परन्तु मीटर की टेस्ट रिपोर्ट अभी तक प्रदान नहीं की गयी जिससे कि मीटर की परिशुद्धता का पता लगाया जा सके कि मीटर ने जो यूनिट रिकार्ड किये है, वह सही है या गलत, बिना मीटर की एक्यूरेसी पता लगाये अपीलार्थी को बिल देना न्यायोचित नहीं है।

5. एम.आर.आई. रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की मीटर छेड़खानी नहीं दर्शायी गयी है और मुझे जो एम.आर.आई. रिपोर्ट प्रदान की गयी है, वह पिछले 06 माह की है जबकि मेरे द्वारा मीटर लगाने के बाद से मांगी गयी है, परन्तु अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी।

6. सहायक अभियंता को मेरी रीडिंग के विषय में यदि कोई शंका या परिसर के बंद होने के विषय में कोई शंका थी, तो म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्रमांक 8.34 के अनुसार अपीलार्थी को पत्र भेजना था एवं सूचना देना था उसके उपरांत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 163 (3) के अधीन अपीलार्थी की विद्युत आपूर्ति विच्छेद किया जाना था परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

7. सहायक अभियंता के द्वारा मेरे परिसर में कनेक्शन लगाते समय पुराना मीटर लगाया था जिसकी परिशुद्धता एवं परीक्षण रिपोर्ट मुझे प्रदान की जावें जिससे यह सिद्ध हो सके कि मीटर सही अवस्था में कार्यरत् था या नहीं। क्योकि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्रमांक 8.23 के अनुसार मीटर स्थापना के पूर्व अनुज्ञप्ति अधिकारी मीटर का सामान परीक्षण एवं परिशुद्धता सुनिश्चित कर ही स्थापित करेगें।

8. सहायक अभियंता के द्वारा एम.आर.आई. रिपोर्ट के साथ पत्र क्रमांक 1024 मुझे प्राप्त हुआ जिसके तुरन्त बाद मेरे द्वारा एम.आर.आई. रिपोर्ट के परिणाम न मानते हुए सहायक अभियंता को पत्र लिखा परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

9. कार्यपालन अभियंता को बिल माह मार्च 2021 में जोड़ी गयी विवादित राशि को स्थगन करने हेतु आवेदन दिया गया था एवं उनके द्वारा सहायक अभियंता को पत्र भी लिखा गया परन्तु सहायक अभियंता के द्वारा उनके पत्र के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिस कारण से मेरे हर माह बिल की राशि में विवादित राशि एवं उस पर लगने वाला सरचार्ज प्रत्येक माह के बिल में जोड़ दिया जाता है, जो कि नियम विरूद्ध है उपभोक्ता को संतुष्ट करना विद्युत कम्पनी का कर्तव्य है।

प्रार्थना

माननीय लोकपाल महोदय जी से विनम्र प्रार्थना निम्नानुसार है :–

1. यह कि माननीय फोरम द्वारा पारित आदेश विधि संगत न होने से दस्तावेजो के विपरीत और एक तरफा होने से निरस्त किया जावें एवं बिल माह मार्च 2021 में जोड़ी गयी मनमानी राशि समाप्त की जावें।

2. यह कि अपीलार्थी को प्रकरण की जॉच कार्यवाही एवं अनुतोष विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान किया जावें।

3. माह मार्च 2021 में बिल में जोड़ी गयी विवादित राशि को स्थगन किया जावे जिससे कि अपीलार्थी को सरचार्ज न लगे जब तक कि विवादित राशि का निपटारा न हो सके।

4. विवादित राशि का जब तक कोई निर्णय न हो तब तक अपीलार्थी की बिजली आपूर्ति विच्छेद न किया जावें।

5. विद्युत अधिनियम 2003 की म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधान के अनुसार प्रतिअपीलार्थी के द्वारा कार्यवाही या प्रक्रिया का पालन न किया गया हो, तो उसका सम्पूर्ण लाभ उपभोक्ता को दिया जावें।

6. माननीय लोक पाल महोदय जी से निवेदन है कि अन्य अनुतोष जो अपीलार्थी पाने का हकदार हो, पारित करने की कृपा करें जी।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–16/2022 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 20.10.2022 नियत की गई ।

❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 20.10.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक श्री नीरज कुमार दुबे तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।
सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा प्रकरण से संबंधित मौखिक तथ्य प्रस्तुत किए । चूंकि अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए प्रकरण पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

अनावेदक कम्पनी को प्रकरण से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी अगली सुनवाई में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाए, जानकारी निम्नानुसार है :–

01. मीटर बंद/खराब का आवेदन देने पर की गई कार्यवाही ।
02. मीटर जल जाने की सूचना ।
03. जले मीटर की भौतिक रिपोर्ट एवं जांच रिपोर्ट ।
04. मीटर बदलने की रिपोर्ट एवं जले हुए मीटर का मौका पंचनामा ।
05. जून 2019 से सितम्बर 2022 तक बिलिंग विवरण, रीडिंग, खपत, बिल, बकाया राशि एवं भुगतान के विवरण के साथ ।
06. मीटर जलने के पूर्व एवं बाद के 3 माह की अवधि की एम.आर.आई. रिपोर्ट से टेम्पर डाटा और लोड सर्वे ।

अनावेदक द्वारा उक्त जानकारी के साथ सुनवाई दिनांक 02.11.2022 को आवश्यक रूप से उपस्थित होवें । उपस्थित न होने एवं जानकारी उपलब्ध न कराने की स्थिति में उपलब्ध दस्तावेजों एवं जानकारी के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जावेगा ।

प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 02.11.2022 को नियत की गई ।

❖ सुनवाई दिनांक 02.11.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक श्री नीरज कुमार दुबे तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री प्रसून कुमार शर्मा, सहायक अभियंता वितरण केन्द्र, नरसिंहपुर शहर उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री प्रसून कुमार शर्मा, सहायक अभियंता ने अधिकृत पत्र दिनांक 26.10.2022 प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

आवेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में मौखिक तथ्य प्रस्तुत किए । साथ ही कुछ न्यायिक दृष्टांत/न्यायिक आदेश ''उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम विरूद्ध तिलक राज बत्रा आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2010 एवं विद्युत लोकपाल का आदेश श्री अमित कुमार पिता नारायण छाबड़िया विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग, मप्रपक्षेविविकंलि., बुरहानपुर एवं सहायक यंत्री (राजस्व, लालबाग झोन), मप्रपक्षेविविकंलि., बुरहानपुर प्रकरण क्रमांक एल00–01/2021 आदेश दिनांक 24.08.2021 भी प्रस्तुत किए, जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री प्रसून कुमार शर्मा, सहायक अभियंता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण के संबंध में प्रत्युत्तर आज सुनवाई को प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं, मुझे प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय दिया जावे ।

अनावेदक के निवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण के संबंध में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए अनावेदक को एक सप्ताह का अवसर दिया गया । उभयपक्षों की आपसी सहमति से उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 09.11.2022 नियत की गई ।

❖ सुनवाई दिनांक 09.11.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक श्री नीरज कुमार दुबे तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री प्रसून कुमार शर्मा, सहायक अभियंता वितरण केन्द्र, नरसिंहपुर शहर उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री प्रसून कुमार शर्मा, सहायक अभियंता द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रत्युत्तर क्रमांक 1078 दिनांक 07.11.2022 प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया तथा जिसकी एक प्रति आवेदक को दी गई । प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख हैं कि नीरज दुबें पिता श्री नरेश दुबें द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर के आदेश दिनांक 13.09.2022 के विरूद्ध अपील आपके समक्ष की हैं जिसमें उनके द्वारा अपील के जो आधार दिए गए हैं, उनके बिन्दुबार जबाव इस प्रकार हैं :–

1. माननीय फोरम द्वारा पारित आदेश शासक तथा विद्युत प्रदाय संहिता की विभिन्न कंडिकाओं तथा तथ्य व परिस्थितियों कों ध्यान में रखतें हुऐं दिये गये हैं।

*2. उपभोक्ता द्वारा यह कहा गया है कि माननीय फोरम द्वारा म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्रमांक 818, 8.34, 6.31, 8.21 तथा 8.11 का पालन नही किया गया हैं परन्तु माननीय लोकपाल महोदय म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिंका 8.11 नये मीटर लगाने या बदलने के समय दोनो पक्षों की प्रतिनिधि उपस्थित होगें तथा मीटर की सील कर कागजी कार्यवाही करेगें इस प्रकार का प्रावधान हैं,महोदय श्री दुबें के मीटर जल जाने के पश्चात तथा मीटर लगाया गया जिसमें नियम का पालन किया गया कंडिका 8.18 का भी जिक्र श्री दुबें द्वारा किया गया हैं, परन्तु कंडिका 8.18 मीटर के परीक्षण हेतु हैं। श्री दुबें का मीटर जल जाने के कारण सिर्फ फाईनल रीडिंग (एफ.आर.) हेतु मीटर कों **HPL LAB Delhi** भेजा गया था, जिससे उसमें लगें **Micro processor** की **MRI Data** लिया जा सकें। अतः कंडिका 8.18 के विरूद्ध कोई कार्य नही किया गया हैं। कंडिका 8.21 में वर्णिता नियम का पालन करने में थोड़ी चूक जरूर हुई हैं। उपभोक्ता का मीटर दिनांक 22.02.2021 जल गया था नियमानुसार मीटर को दिनांक 03.03.2022 तक चैक करना था परन्तु माह फरवरी.2021 में करोना महामारी के कारण कुछ कर्मचारियों के न होने से तथा कार्य को अधिक सावधानी पूर्वक किये जाने के कारण एक दिवस का विलंभ हुआ और 7 दिन पूर्ण होते ही आठवें दिन संयोंगवस श्री दुबें का मीटर अज्ञात कारणों से जल गया। हालाकिं श्री दुबें से मीटर के परिसर की वीडियों विडियों रिर्काडिंग की मांग मौखिक रूप से की गई परन्तु इनके द्वारा रिर्काडिंग डिलीट होना बताया गया परन्तु श्री दुबें से मीटर नियमानुसार 15 दिन में ही बदल दिया गया। अतः महोदय केबल सातवें सें आठवें दिवस में ही मीटर के संयोंगवस जल जाने के कारण तथा कोरोना महामारी के चलते उक्त परिस्थिति निर्मित हुई। कंडिका 8.34 का यहाँ कोई औचित्य नही हैं क्योकिं उक्त प्रकरण में मीटर रीडर द्वारा लापरवाही पूर्वक रीडिंग गलत डाली गई हैं। कंडिका क्र. 6.31 का भी यहा कोई सवाल नही हैं चूकिं उपभौक्ता द्वारा मीटर*

जलने के संबंध में शिकायत की गई, जिसमें नियमानुसार बदला गया तथा जले मीटर में चोरी करने का साक्ष्य खोजना मुमकिन नही हैं जिस प्रकार मीटर पूरी तरह से जल गया था।

3. श्री दुबें का यह कहना हैं फोरम का निर्णय नयायिक मस्तिष्क का प्रयोग नही करते हुए दिया गया हैं यह सही नही हैं।

4. यह कि माननीय फोरम द्वारा निर्णय साक्ष्य व परिस्थिति व नियमानुसार हैं।

5. जिस कंडिका 8.21 का जिक्र श्री दुबें द्वारा किया गया हैं वह बिन्दु क्र.3 मे उसके बारे में जानकारी दी गई हैं।

*6. महोदय जी चूकिं मीटर जल चुका था तथा जले मीटर कों बदलने की शिकायत श्री दुबें द्वारा करवाई गई थी जिसें नियमानुसार बदल दिया गया तथा मीटर डिस्पोजल स्लिप भी भरी गई। कंडिंका क्र. 6.31 के तहत पंचनामा बनाने का यहाँ कोई सवाल ही नही था। यह सत्य है कि दिनांक 16.03.2021 में इनके परिसर में जांच की गई तथा धारा 126 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जांच में राशि 149710 रूपये निकाली गई। श्री दुबें द्वारा स्वयं उनके जले मीटर की रिपोर्ट जों कि दिल्ली **एच.पी.एल.लैब** से प्राप्त हुई थी उसकों मान्य करतें हुयें उसमें आई एम.डी. अनुसार बिलिंग राशि में सुधार को स्वीकार किया गया। **एच.पी.एल.लैब** की रिपोर्ट का जिक्र स्वयं श्री दुबें ने अपनें पंचनामा के निर्धारण आदेश के विरूद्ध की गई अपील में किया गया।*

*7. महोदय जी चूकिं कंडिका 8.18 मीटर में जांच हेतु नियमों के बारे में बताती हैं न कि मीटर की **एम.आर.आई** या **फाईनल रीडिंग** के संबंध में अतः कंडिंका 8.18 का यहाँ कोई औचित्य नही हैं। फिर भी उपभोक्ता कों इस वावत जानकारी दी थी जो श्री दुबें खुद मानते हैं।*

8. महोदय जी बिन्दु क्र 8 व 9 सें संबंधित सभी बाते उपर के कथनों में ही प्रदान कर दी गई है।

*10 उपभोक्ता का यह कहना है कि **एम.आर.आई रिपोर्ट** स्वय सहायक अभियंता को मान्य नही हैं, यह गलत हैं।*

*महोदय जी आपसें सविनय यह कथन है कि उक्त प्रकरण में मध्य प्रदेश विद्युत अधिनियम की किसी भी कंडिका की अवमानना नही की गई हैं। किसी जले मीटर के फाइनल रीडिंग निकालनें के संबंध में अधिनियम में कोई साफ–साफ नियम नही हैं। अतः बिना किसी दवेश या दुभावना के सिर्फ जो सबसें उपयुक्त उपाय था वह किया गया। मीटर का **Micro processor** चुकिं सभी मीटर का डाटा रखता हैं। अतः उसकी **एम.आर.आई.** की **एम.आर.डी.फाईल** निकल वाई गई जो कि एक **BCS Computer** प्रणाली से तैयार की गई जिसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ किया*

जाना संभव नही हैं। चूंकि उपभौक्ता को पूरी रिपोर्ट दी गई न कि सिर्फ फाईनल रीडिंग की ***Value*** *अतः छेड़छाड़ करने की कसर और खत्म हो जाती हैं।*

इसके अलावा श्री दुबें के 126 के प्रकरण में भी उनके द्वारा इसी रिपोर्ट की आधार माना गया फिर श्री दुबें एक बार उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं तथा एक बार उसका उसका खंडन करतें हैं यह कैसे मान्य हो सकता हैं।

माननीय जी से सविनय अनुरोध है कि इस प्रकरण में श्री दुबें कों नियमानुसार राशि जमा करने हेतु आदेशित करें तथा यह भी आदेश पारित करने हेतु अनुरोध है कि इस प्रकार मीटर के जल जाने उपरान्त मीटर की ***फाईनल रीडिंग*** *को निकालने हेतु मार्ग दर्शन देवे जो आगें के प्रकरणों में क्रियांवित की जा सकें।*

सुनवाई दिनांक 20.10.2022 को विद्युत लोकपाल द्वारा निर्देशित कुछ बिन्दुओं की जानकारी अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी, जिस पर अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा उक्त कुछ बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई । साथ ही आवेदक द्वारा अनावेदक से प्राप्त प्रत्युत्तर पर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गई ।

उभयपक्ष के निवेदन को स्वीकार करते हुए तथा उभयपक्षों की आपसी सहमति से उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 24.11.2022 नियत की गई ।

❖ सुनवाई दिनांक 24.11.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक श्री नीरज कुमार दुबे तथा उनके अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री प्रसून कुमार शर्मा, सहायक अभियंता वितरण केन्द्र, नरसिंहपुर शहर उपस्थित ।

सुनवाई के दौरान आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता पत्र तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब का उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसे रिकार्ड में लिया गया तथा जवाब की एक प्रति अनावेदक को उपलब्ध कराई गई ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक ने कहा कि आवेदक का कनेक्शन जून, 2019 से मार्च 2020 तक कोविड नहीं था । कोविड लगायत दिनांक 22 मार्च 2020 से शुरू हुआ था उसके पूर्व की अवधि में कोविड की अवधि बताना ठीक नहीं है, अतः उस अवधि में उपयोग हुआ होगा ।

02. उपभोक्ता के यहां जो मीटर लगा हुआ था वह पूर्व से टेस्टेड था एवं उपभोक्ता के यहां लगाने से पूर्व किसी अन्य परिसर में लगाया गया था । यह प्रक्रियां साबित हो चुकी है कि कोई भी नया मीटर टेस्टिंग लैब में टेस्ट होने के उपरांत ही किसी परिसर में लगाया जाता है ।

उपभोक्ता के यहां लगा हुआ मीटर भी पूर्व से टैस्टेड था एवं विद्युत प्रदाय संहिता में यह प्रावधान है कि लाईसेंसी ऐसे मीटर लगाएं जिसकी कार्य–प्रणाली से वह संतुष्ट हों । आवेदक के यहां लगाए गए मीटर की कार्य–प्रणाली भी ठीक थी, इसलिए स्थापित किया गया था । आवेदक को अगर कोई आपत्ति थी तो उसी समय आपत्ति दर्ज करवानी थी ।

03. अनावेदक ने कहा कि जो मशीनों के बिल दिए हैं उनका सत्यापन करना आवश्यक है उसके बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है ।

04. आवेदक ने यह प्रश्न उठाया कि जले हुए मीटर की टैस्टिंग न तो उनके समक्ष की गई है एवं न ही किसी अधिकृत प्रयोगशाला में की है, अतः उसके आधार पर बिल जारी करना मान्य करने योग्य नहीं है ।

05. कनेक्शन दिनांक से मीटर जलने की अवधि तक अनावेदक द्वारा उपयोग की गई मांग एवं के गई खपत के बिल की प्रमाणिकता का उत्पादन प्रपत्र एवं जी.एस.टी के आधार पर मिलान किया जा सकता है जिस हेतु आवेदक को प्रमाणि मासिक उत्पादन का विवरण अनावेदक को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया । अनावेदक को उक्त बिन्दुओं पर जानकारी/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु आगामी सुनवाई दिनांक 15.12.2022 को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 15.12.2022 नियत की गई ।

❖ सुनवाई दिनांक 15.12.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक श्री नीरज कुमार दुबे तथा उनके अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

आवेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित अतिरिक्त दस्तावेत प्रस्तुत किए, जिसे रिकार्ड में लिया गया । चूंकि अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, इस कारण प्रकरण पर आगामी कार्यवाही नहीं हो सकी ।

अनावेदक को आवेदक द्वारा सुनवाई में प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेज की प्रति भेजते हुए सुनवाई हेतु अन्तिम अवसर दिया जा रहा है यह सूचित किया जावे ।

उक्त प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 29.12.2022 नियत की जाती है ।

❖ सुनवाई दिनांक 29.12.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक श्री नीरज कुमार दुबे तथा उनके अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री प्रसून कुमार शर्मा, सहायक अभियंता वितरण केन्द्र, नरसिंहपुर शहर उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री प्रसून कुमार शर्मा, सहायक अभियंता द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रत्युत्तर क्रमांक 5864 दिनांक 14.12.2022 प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया तथा जिसकी एक प्रति आवेदक को दी गई । प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

निवेदन है कि माननीय विद्युत लोकपाल महोदय भोपाल में आवेदक/अपीलार्थी श्री नीरज कुमार दुबे आ. श्री नरेश कुमार दुबे निवासी नरसिंहपुर द्वारा अपने विद्युत संयोजन में में राशि रुपये 165512/– एवं उस पर देय अधिभार की राशि को निरस्त किये जाने एवं 83000/– रुपये ब्याज सहित लौटाने तथा माननीय उपभोक्ता फोरम जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09. 2022 को निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण 16/2022 पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें अनावेदक/प्रतिवादी अधीक्षण अभियंता (सं.सं.) वृत नरसिंहपुर तथा दो अन्य को उत्तरदायी बनाया जाकर नोटिस जारी किया गया है। तत्संबंध में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा लिखित में दिये गये बिन्दुओं पर बिन्दुवार जानकारी/अभ्यावेदन आपकी ओर निम्नानुसार है।

1. अपीलार्थी का यह कथन कि उसको विद्युत देयक गलत दिया गया है, यह पूर्ण रुप से गलत/अस्वीकार है।

(ए) अपीलार्थी का यह कथन कि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग भोपाल मे वर्ष 2013 में म.प्र. विद्युत प्रदाय सहिता में जिन जिन बातों का जैसा जैसा उल्लेख किया गया है उन नियमों का बिजली कंपनी ने पालन नहीं किया तथा उसका उलंघन किया है। यह पूर्णतः गलत/अस्वीकार है।

1. अपीलार्थी के परिसर में जो मीटर लगाया गया था, वह नया मीटर नहीं था, यह सत्य है। परंतु जो मीटर अपीलार्थी के परिसर में लगाया गया था वह सही था तथा उसकी आई.आर. (प्रारंभिक रीडिंग) 6465 थी। उक्त मीटर की स्थापना में म.प्र. विद्युत प्रदाय सहिता के नियमानुसार ही मीटर लगाया गया था। उक्त मीटर लगाने के पश्चात उपभोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार की कोई संदेह/ऑवजेक्शन तब नहीं उठाया गया था।

2. आवेदक अपीलार्थी द्वारा अनावेदक प्रति अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 22.02.2021 के द्वारा मीटर की खराबी के संबंध में सूचना दी गई थी। उक्त मीटर को विद्युत प्रदाय सहिता के अनुसार 7 दिवस में जांच करना था। परंतु कार्य की अधिकता के कारण 7 दिवस के अंदर मीटर की जांच नहीं किया जा सका एवं संयोगवस 8वें दिन मीटर ही जल गया। अपीलार्थी का यह कहना की मीटर 7 दिवस में जांच न करने के कारण 8वें दिन जल गया। यह कथन तकनीकी रुप से पूर्णतः गलत है। अपीलार्थी के स्वयं आगे प्वांट 2 के खंड डी में यह कहा है कि दिनांक 04.03.2021 में मशीन में शार्टशर्किट के कारण आपीलार्थी का मीटर जल गया। उस दिन उसके परिसर में शेड

का कार्य चल रहा था।

3. अपीलार्थी बार बार यह कह रहे है कि विद्युत सप्लाई कोड नियम 8.18 का उल्लंघन किया गया है। चूंकि मीटर टेस्टिंग कंपनी के लैब द्वारा की जावेगी एवं टेस्टिंग के पूर्व 7 दिन की सूचना उपभोक्ता को दी जावेगी। परंतु महोदय नियम 8.18 मीटर की टेस्टिंग से संबंधित है। परंतु उस कंडिका में मीटर की एम.आर.आई के संबंध में कोई कथन नहीं है, तथा अपीलार्थी के मीटर की कोई टेस्टिंग कराई ही नहीं गई, सिर्फ एम.आर.आई (रीडिंग) कराई गई है। जिसका अंतिम वाचन (फाइनल रीडिंग) से निकाला गया। जिस प्रकार से किसी अन्य उपभोक्ता की एम.आर.आई करके उसकी रीडिंग कम्प्यूटर सिस्टम बी.सी.एस. से निकाल कर बिलिंग सिस्टम में दर्ज कर उपभोक्ता को विद्युत देयक दिया जाता है।

(बी) अपीलार्थी के द्वारा यह कहा गया कि उसके द्वारा व्यवसाय के लिए माह जून 2019 में एन.डी. एल.एफ कनेक्शन प्राप्त किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि कोविड–19 एवं आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पानी की मशीने न खरीद पाने से उक्त कनेक्शन की मशीनों को माह जनवरी, फरवरी 2021 में खरीदा गया। महोदय कोविड–19 का संक्रमण तो जून 2019 में था ही नहीं। अपितु उक्त संक्रमण मार्च 2020 से शुरु हुआ है। अतः अपीलार्थी का यह तर्क झूठा प्रतीत होता है। अपीलार्थी जिन विद्युत देयकों का जिक्र कर रहे है उनमें सिर्फ प्रिटिंग मशीन तथा पैकिंग मशीन का ही जिक्र है। उन देयकों में भी मशीनें अलग अलग फर्मों में दी गई है। अतः उन बिलों से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि यह मशीनें अपीलार्थी के विवादित परिसर के लिए क्रय की गई है।

(सी) महोदय चूंकि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत मशीनों के दस्तावेज यह साबित नहीं करते कि मशीनें विवादित परिसर हेतु मंगवाई गई थी अथवा नहीं। साथ ही पानी के व्यवसाय में उपयोग होने वाली मुख्य मशीनों का अपीलार्थी द्वारा कोई जिक्र नहीं किया गया है कि वह कब ली गई है।

(डी) अपीलार्थी का यह कथन कि मीटर क्रमांक 2888658 के डिसपोजल फोर्म भर दूसरा मीटर क्रमांक 3253402 स्थापित किया था। डिसपोजल फोर्म में रीडिंग के स्थान पर जला उल्लेख है, तथा सील का कॉलम निरंक है। महोदय चूंकि मीटर जल गया था। अतः उसकी एफ.आर. (फाइनल रीडिंग) डिसप्ले से नहीं ली जा सकती थी। अतः इस कॉलम को निरंक रखा गया तथा मीटर जलने से सीलें भी जल गई थी। अतः सीलों का विवरण लिखा जाना संभव नहीं था। अपीलार्थी का 126 के प्रकरण के जिक्र का कोई औचित्य नहीं है।

(एफ) उपरोक्त विषय में कथन है कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं यह बात कही गई है कि शार्ट सर्केट द्वारा मीटर जल गया था। अतः वस्तुतः मीटर की केवल एम.आर.आई करवाई गई एवं बिल भी एमआरआई की फाइनल रीडिंग अनुसार ही दिया गया न कि किसी टेस्ट रिपोर्ट पर।

(जी) कथन पूर्णतः गलत है चूंकि

1. विवादित बिल की डिटेल प्रति अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी को दी जा चुकी है।

2. अपीलार्थी के संस्थान में मशीनों की स्थापना माह जनवरी–फरवरी 2021 में हुई इसका कोई ठोस और सही प्रमाण नहीं है।

3. अपीलार्थी का यह कथन '' कि तत्कालीन समय में यह मीटर अन्य परिसर से निकाला हुआ था, नया मीटर टेस्टेड और म.प्र. सप्लाई कोड के नियम 81 एवं 811 के मुताबिक टेस्टेड नहीं था'' यह पूर्णतः तकनीकी रुप से गलत एवं अस्वीकार है।

4. उक्त कथन से अपीलार्थी क्या सावित करना चाहते है यह स्पष्ट नहीं है।

5. इस कथन का जबाव पूर्व में दिया गया है।

6. यह बार बार प्रति अपीलार्थी कहता है कि मीटर की जांच नहीं करवाई गई है अपितु एमआरआई से करवाई है। जो नियमानुसार तकनीकी रुप से सही करायी गई है।

7. मशीनों के बिल किसी प्रकार से यह स्पष्ट नहीं करते की जून 2019 से फरवरी 2021 तक उपभोक्ता का कोई खपत नहीं था। अपीलार्थी का कथन पूर्णतः अस्वीकार है।

8. अपीलार्थी द्वारा यह कथन कि मीटर की आईआर 4 डिजिट में है परंतु फाइनल रीडिंग 5 डिजिट में है। यह संभव नहीं है और मीटर 4 डिजिट का है। यह कथन तकनीकी रुप से बिल्कुल सही नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में जो भी तर्क आगे दिये है वह पूर्व में इसी बहस में पहले भी लिखे गये है। अतः प्रति अपीलार्थी अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस में उपरोक्त जबाव प्रस्तुत करता है। प्रति अपीलार्थी साथ ही यह कहना चाहता है कि :–

1. अपीलार्थी का यह कथन कि जून 2019 से कोरोना के कारण मशीने नहीं ले पाया तथा जनवरी–फरवरी 2021 में इनके द्वारा मशीनों का क्रय किया गया। महोदय कोरोना माह मार्च–अप्रैल 2020 से शुरु हुआ था। अतः जून 2019 से मार्च 2020 तक क्यों प्लांट चालू नहीं हो पाया। यह समझ से परे है तथा अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति कोरोना कार्यकाल में मार्च 2020 के बाद अच्छि हुई तथा जनवरी 2021 में उनके द्वारा मशीन खरीदने की बात की गई, यह संदेहास्थ तथ्य है। चूंकि कोरोना काल में व्यापारियों की आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं अपितू और खराब हुई है।

2. अपीलार्थी का तर्क की चूंकि मीटर 4 डिजिट का था परंतु फाइनल रीडिंग 5 डिजिट में है। इसलिए एमआरआई मान्य नहीं है उन्हें यह तथ्य तकनीकी रुप से हो स्पष्ट नहीं है।

माननीय विद्युत लोकपाल महोदय से यह भी निवेदन कर अवगत कराना उचित होगा कि आवेदक/अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में इस कंपनी के कार्यालय मे उपस्थित होकर यह आश्वत भी कराया गया था कि मेरे विद्युत कनेक्शन पर अधिरोपित की गई राशि को पूनर्निधारित कर कम कर दी जावे तो मैं एक मुश्त राशि जमा कर दूंगा, यह कहा जाता रहा। परंतु उनके द्वारा न तो राशि जमा की गई और न ही अपने कहे अनुसार लंबे अंतराल के बाद भी राशि जमा न होने पर कंपनी को आर्थिक राजस्व की क्षति उठाना पड़ी, और अपीलार्थी के द्वारा विभाग को गुमराह भी किया गया।

उपरोक्त जानकारी आपकी ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।''

सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा निम्नानुसार कथन किए गए –

1. आवेदक ने बताया कि उसके द्वारा पानी पैकिंग और उस पर दिनांक छापने की मशीनें जनवरी–फरवरी, 2021 में खरीदी गई थी जिसके बिना पैक्ड वॉटर का उत्पादन शुरू नहीं किया जा सकता । इससे संबंधित बिलों की प्रति उनके द्वारा अनावेदक को प्रेषित की गई थी ।
2. आवेदक ने कहा कि मीटर की जांच नहीं की गई एवं मीटर की एम.आर.आई. न तो हमारे सामने की है एवं न ही अधिकृत परीक्षण प्रयोगशाला से की है ।
3. बिल जो जारी किए गए थे वह मीटर रिपोर्ट द्वारा ली गई रीडिंग के आधार पर किए गए थे एवं मेरे द्वारा समय पर बिलों का भुगतान किया गया है ।
4. विभाग ने यह कहीं भी सिद्ध नहीं किया है कि मीटर रीडर द्वारा मई 2019 से फरवरी 2021 तक ली गई रीडिंग गलत थी ।
5. आवेदक ने यह बताया कि मेरे मीटर की प्रतिमाह दो बार रीडिंग ली जाती थी व रेगुलर मीटर रीडर द्वारा फोटो मीटर रीडिंग ली जाती थी और दूसरा अलग मीटर रीडर आता था जो डायरी में मीटर रीडिंग दर्ज करता था । अनावेदक ने इस बारे में कहा कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।
6. अनावेदक ने कहा कि प्रस्तुत की गई एम.आर.आई. के अनुसार मीटर के आर फेज पर वोल्टेज शुन्य दिनांक 10.08.2020 से 01.03.2021 तक था जबकि जो बिल जारी किया गया है वह मई 2019 (मीटर लगने की दिनांक से) डेढ़ गुनी रीडिंग कर जारी किया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है ।

7. आवेदक ने कहा कि मेरे द्वारा अनावेदक को (1) जी.एस.टी. का विवरण (2) उत्पादन का विवरण (3) रेलवे के साथ अनुबंध (4) बी0आई0एस0 हेतु जमा की गई फीस । यह दस्तावेज प्रस्तुत किए थे कि मेरा प्रोडक्शन कनेक्शन दिनांक से चालू न होकर मार्च 2021 को चालू हुआ है । अतः जारी किया गया बिल निराधार होने के साथ ही साथ गलत है ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा निम्नानुसार कथन किए गए –

01. आवेदक ने दो मीटर रीडरों के द्वारा रीडिंग लेने के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की ।
02. अनावेदक ने कहा कि आर फेज में वोल्टेज की बिलिंग 10 अगस्त 2020 से 1 मार्च 2021 तक ही होनी चाहिए जिसे सुधारा जा सकता है ।
03. अनावेदक ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत मई 2019 से फरवरी 2021 तक उत्पादन न होने के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की ।
04. आवेदक को उक्त दस्तावेजों का सत्यापन करने हेतु दिनांक 24.11.2022 की सुनवाई में निर्देशित किया गया था । उनसे पूछने पर यह स्पष्ट होता है कि वे दस्तावेजों से सहमत हैं । केवल यह आपत्ति दर्ज की कि वह अलग–अलग फर्म के नाम से है जिस पर आवेदक ने स्पष्टीकरण दिया कि अलग–अलग फर्म से भुगतान करने के कारण बिल अलग–अलग फर्म के नाम से है, जबकि वे एक ही जगह स्थापित है ।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

04. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण के निर्विवादित तथ्य निम्नानुसार है :–

01. आवेदक ने एक नवीन कनेक्शन 03 मई 2019 को 9 कि.वा. हेतु गैर घरेलू श्रेणी का प्राप्त किया था, जिसमें मीटर क्रमांक 2888658 में एच.पी.एल. क्षमता 3x10–40 एम्पीयर प्रारंभिक रीडिंग 6465 लगाया गया था ।

02. यह कि अनावेदक ने आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर की प्रतिमाह अपने मीटर वाचक के माध्यम से रीडिंग ली, जिसमें मीटर की फोटो भी ली जाती थी एवं उसी रीडिंग के अनुसार बिल जारी किए, जिसका भुगतान आवेदक ने प्रतिमाह किया है ।

03. दिनांक 22.02.2021 को आवेदक ने आवेदन दिया था कि मीटर खराब/बंद हो गया है, अतः बदला जावे । उस पर अनावेदक ने कोई भी कार्यवाही नहीं की ।

04. दिनांक 04.03.2021 को मीटर जल गया जिसे अनावेदक ने दिनांक 04.03.2021 को ही बदलकर नया मीटर क्रमांक 3253402 मेक एच.पी.एल. 3x10–40 एम्पीयर प्रारंभिक रीडिंग 0001 पर लगाया था ।

05. अनावेदक ने जला हुआ मीटर बदलते समय न तो पंचनामा बनाया एवं ना ही उसे विशेष जांच हेतु सील करने की कार्यवाही की ।

06. अनावेदक के कथन अनुसार उसने मीटर की जांच हेतु मीटर बनाने वाली कंपनी को भेजा था जिसकी सूचना आवेदक को दी थी किंतु आवेदक की उपस्थिति में जांच नहीं हुई ।

07. अनावेदक का यह कहना है कि उसने जले हुए मीटर की एम.आर.आई करवाई एवं उसके आधार पर जला मीटर निकालते समय उसकी अंतिम रीडिंग 21192 है, जबकि फरवरी – 2021 को बिल में रीडिंग 9425 थी । मीटर जला होने से उससे प्राप्त डाटा संदेहास्पद है ।

08. अनावेदक ने फोरम को अपने प्रतिवेदन के बिन्दु (6) (फोरम आदेश पृष्ठ 8) में यह कहा है कि ''उपभोक्ता का व्यवसायिक कनेक्शन 9 किलोवाट होने के कारण रीडिंग का कार्य दक्षता एप के माध्यम से मीटर रीडर द्वारा किया जा रहा था । जिसकी जांच करने पर पाया गया कि मीटर बदलने के पूर्व के किसी भी फोटो में स्पष्ट रीडिंग प्राप्त नहीं हुई है एवं अधिकतम समय में उपभोक्ता का परिसर बंद पाया गया ।'' इससे यह प्रतीत होता है कि उत्पादन प्रारंभ न होने के कारण विद्युत का उपयोग कम था ।

09. आवेदक ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने एवं कोविड – 19 के कारण सभी मशीनें नहीं खरीद पाया जिससे पैक्ड वॉटर का उत्पादन नहीं शुरू कर पाया था । मार्च – 21 में सभी मशीनें आने पर उत्पादन प्रारंभ किया था ।

10. आवेदक ने पैकिंग एवं दिनांक छापने की मशीनों की खरीदी के बिल भी प्रस्तुत किए जिसे अनावेदक ने सत्यापित किया । ये मशीनें जनवरी–फरवरी 2021 में खरीदी गई थी ।

11. अनावेदक यह सिद्ध नहीं कर सका कि कनेक्शन दिनांक से फरवरी – 2021 तक परिसर में उत्पादन हो रहा था ।

12. आवेदक ने उपयोग नहीं होने के साक्ष्य के रूप में प्रोडक्शन का रिकार्ड और जी.एस.टी. का विवरण अनावेदक को दिया था जिसे सत्यापित करने हेतु अनावेदक को निर्देशित किया था किन्तु अनावेदक ने उस पर अपना अभिमत प्रस्तुत नहीं किया । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह प्रस्तुत रिकार्ड से सहमत हैं ।

13. आवेदक का यह कहना कि विवादित मीटर 4 डिजिट का था गलत हैं क्योंकि मीटर लगाते समय रीडिंग 4 डिजिट में थी वास्तव में मीटर 5 अंक एवं एक दशमलव का था ।

14. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत एम.आर.आई. रिपोर्ट मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला में नहीं की गई है एवं ना ही अनावेदक ने मीटर की स्थिति, जलने का कारण आदि के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है । उक्त जांच के समय आवेदक को भी नहीं बुलाया था ।

15. अनावेदक ने मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग दर्ज करने के संबंध में भी कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि मीटर रीडर द्वारा ली गई रीडिंग गलत थी एवं एम.आर.आई. द्वारा दर्शाई रीडिंग सही है ।

16. अनावेदक ने जारी किए गए बिल में मीटर को आर फेज पर वोल्टेज नहीं मिलने के कारण भी बिल किया है जिसके संबंध में न तो कोई पंचनामा एवं ना ही कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

05. उभयपक्षों द्वारा किए गए कथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों की स्थापित विधि एवं नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

1) आवेदक ने 9 कि.वा. का गैर घरेलू श्रेणी का विद्युत कनेक्शन पानी का प्लांट चलाने हेतु दिनांक 03.05.2019 को प्राप्त किया था ।

2) आर्थिक समस्या एवं कोविड–19 के कारण वह प्लांट चालू नहीं कर सका । जनवरी–फरवरी 2021 में उसने पैंकिंग एवं बाटलों पर दिनांक छापने वाली मशीनें खरीदी उसके उपरांत मार्च 2021 में उसने उत्पादन प्रारंभ किया ।

3) आवेदक के परिसर मे स्थापित मीटर की रीडिंग प्रतिमाह मीटर रीडर द्वारा फोटो खींचकर ली जाती थी, साथ ही अन्य कर्मचारी भी डायरी में रीडिंग नोट कर प्रतिमाह ले जाता था ।

4) अनावेदक के अनुसार कई बार रीडिंग नहीं हो पाती थी क्योंकि परिसर में ताला लगा मिलता था ।

5) आवेदक प्रतिमाह उपरोक्त रीडिंग के अनुसार समय पर बिल भरता रहा ।

6) आवेदक ने दिनांक 22.02.2021 को अनावेदक को सूचित किया था कि मीटर खराब हो गया है किन्तु अनावेदक ने कोई कार्यवाही नहीं की फलस्वरूप मीटर दिनांक 04.03.2021 को जल गया ।

7) जले हुए मीटर को बदलते समय कोई भी खराबी/छेड़छाड़/कमी संबंधी न तो कोई दस्तावेज एवं ना ही पंचनामा बनाया गया ।

8) मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट जो अनावेदक ने प्रस्तुत की है मान्य करने योग्य नहीं है, क्योंकि न तो जांच आवेदक/प्रतिनिधि उपस्थिति में की गई ना ही मीटर के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं मीटर जला हुआ था ।

9) आवेदक ने प्रोडक्शन रिकार्ड, जी.एस.टी., रेलवे के साथ अनुबंध आदि दस्तावेज अनावेदक को उत्पादन फरवरी – 2021 तक प्रारंभ न होने के साक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत किए, जिस पर अनावेदक ने निर्देशित करने पर भी अपना अभिमत प्रस्तुत नहीं किया । इससे स्पष्ट होता है कि वह सहमत हैं ।

10) अनावेदक ने कई बार नियमों का पालन नहीं किया है ।

11) आवेदक के कनेक्शन की अक्टूबर 2020 से फरवरी – 2021 तक न्यूनतम बिलिंग संभवतः परिसर बंद होने के कारण की है ।

06. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

i) अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है ।

ii) अपीलार्थी के कनेक्शन की बिलिंग अक्टूबर 2020 से फरवरी – 2021 तक न्यूनतम (एम.एम. सी.) के आधार पर की गई है एवं 4/3/2021 को मीटर जल गया था । अतः अक्टूबर 2020 से फरवरी – 2021 तक की बिलिंग विद्युत प्रदाय संहिता – 2021 के प्रावधान अनुसार पुनरीक्षित करें।

iii) फोरम द्वारा पारित आदेश अपास्त करते हुए एम.आर.आई. के आधार पर की गई बिलिंग निरस्त की जाती है । साथ ही बिल किया सरचार्ज भी हटाया जावे ।

iv) कई शिकायतें लंबे समय तक एम.आर.आई. योग्य मीटरों की एम.आर.आई. कर, गड़बड़ी सुधारने की कार्यवाही नहीं करने के कारण हो रही है । वितरण कंपनी को सलाह दी जाती है कि कम से कम घरेलू श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं जिनके यहां एम.आर.आई. योग्य (Compitable) मीटर लगे हैं की एम.आर.आई. वर्ष में कम से कम दो बार करवा कर, गड़बड़ी सुधारने की कार्यवाही करने के साथ ही सतत् समीक्षा की जावे ।

07. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

08. आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की निशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल